प्रेस नोट

जनपद – सोनभद्र

दिनांक – 26.02.2026

➡ मा० न्यायालय सोनभद्र द्वारा धारा 302/34 IPC के प्रकरण में 03 माफिया अभियुक्तों को आजीवन कारावास एवं प्रत्येक को ₹20,000/- अर्थदण्ड से दण्डित किया गया-"

पुलिस अधीक्षक सोनभद्र श्री अभिषेक वर्मा के निर्देशन में जनपद सोनभद्र पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे #OperationConviction अभियान के अंतर्गत एक अहम सफलता प्राप्त हुई है। प्रभावी पैरवी एवं सशक्त पुलिस-न्याय प्रणाली के समन्वय से 03 माफिया अभियुक्तों को आजीवन कारावास एवं प्रत्येक को ₹20,000/- अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रकरण का विवरण:-

थाना:- करमा, जनपद सोनभद्र।

मु0अ0सं0:- 145/2021

धारा:- 302, 34, 120बी व 3/25 आर्म एक्ट।

आरोपीगण:-

1. राजेन्द्र मौर्या पुत्र गुपुत नाथ निवासी मगरदहा थाना करमा जिला-सोनभद्र।
2. जसवंत मौर्या पुत्र राजेन्द्र मौर्या निवासी मगरदहा थाना करमा जिला-सोनभद्र।
3. निहाल पुत्र रामधनी निवासी बिसहार थाना करमा जिला-सोनभद्र।

मा0 न्यायालय द्वारा पारित सजा का विवरण:-

धारा 302/34 IPC में उपरोक्त अभियुक्तगण को आजीवन कारावास एवं प्रत्येक को ₹20,000/- अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर प्रत्येक को 04 माह का अतरिक्त कारावास भुगतना होगा।

सजा दिलाने में सराहनीय भूमिका:- इस केस में थाना करमा पुलिस, कोर्ट मोहर्रिर, अभियोजन पक्ष एवं जनपद मॉनिटरिंग सेल की संगठित व सतत प्रयासों से न्यायालय में मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, जिससे अभियुक्त को दोष सिद्ध किया गया।

SONBHADRA POLICE